



2026:AHC:125642

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 15495 वर्ष 2026

प्रिंस याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : जितेन्द्र सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए.

कोर्ट नंबर - 5

माननीय न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुष्कर श्रीवास्तव को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र, वाद अपराध संख्या 409/2025, धारा 85, 80(2), 103(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर में विचारण (ट्रायल) लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई भी ठोस अथवा नेटिं अभियोजनात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि मामले का विचारण प्रारंभ हो चुका है तथा मृतका के माता एवं पिता, जो क्रमशः अभियोजन पी.डब्ल्यू.1 एवं अभियोजन पी.डब्ल्यू.2 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में लगाए गए आरोपों का समर्थन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं किया और वे शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक दिनांक 23.10.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र का कड़ा विरोध

जमानत याचिका संख्या 15495 वर्ष 2026

2

किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, आवेदक की पत्नी को आवेदक द्वारा दहेज मृत्यु का शिकार बनाया जाना बताया गया है। तथापि, इस मामले में विचारण प्रारंभ हो चुका है तथा मृतका के माता एवं पिता न्यायालय के समक्ष अभियोजन पी.डब्ल्यू.1 एवं अभियोजन पी.डब्ल्यू.2 के रूप में उपस्थित हुए, परंतु उन्होंने एफआईआर में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया और वे शत्रुतापूर्ण हो गए।

6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या पर विचार करते हुए साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में दिए गए निर्णय के निर्देशों तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन सर्भा 6765 मामले में जमानत प्रदान करने के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **प्रिंस** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/जांच की कार्यवाही में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा निर्दो

जमानत याचिका संख्या 15495 वर्ष 2026

3

अपराध के कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

10. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित अदालत को आवेदक और जमानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और पते के सबूत की पुष्टि करनी चाहिए। अदालत को आवेदक और जमानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश को संबंधित जेल को बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा से प्रारंभ आपराधिक रिट याचिका संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुसार इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के द्वारा भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति, जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

5 जून, 2026

मधुरिमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।